

छुट्टी की अर्जी का फार्म
FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

अनुपूरक नियम 216 देखिए)/See supplementary Rule 216

टिप्पणी :- मद सं० 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित ।

Note :- Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non gazetted.

1. प्रार्थी का नाम
Name of applicant ...
2. लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
Leave Rules applicable —
3. पद
Post held ...
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
Department, Office and Section ...
5. वेतन
Pay —
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते ।
House rent allowance, conveyance allowance or other compensatory allowances drawn in the present post
7. मांगी गई छुट्टी की किस्म अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
Nature and period of leave applied for and date from which required.
8. रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें छुट्टी से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं ।
Sundays and holidays, if any proposed to be prefixed/suffixed to leave.
9. छुट्टी का कारण
Ground on which leave is applied for ...
10. पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि ।
Date of return from last leave, and the nature and period of that leave
11. मेरा विचार आगामी छुट्टी में — — — — — के खण्ड वर्षों के लिए छुट्टी यात्रा की कैफियत लेन का है/नहीं है ।
I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the block years — — — — — during the ensuing leave.
12. (क) मैं बचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तन छुट्टी की अवधि में लिए गये छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर को उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ii)/संशोधित छुट्टी नियमावली 1933 के नियम II (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्त न होती ।
(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the provision to F. R. 81 (b) (ii)/rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933, not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave.

12. (ख) मैं बचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 81 (ग)/संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम (II) (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन का वापस कर दूँगा।
- (b) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had F.R. 81 (c)/Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not due availed of by me.

तारीख
Date

प्रार्थी के हस्ताक्षर
Signature of applicant.....

13. नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिस
Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.

तारीख/Date.....

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation.....

छुट्टी अनुमत्यता के बारे में प्रमाण-पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE
(राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में महालेखाकार द्वारा)
(By Accountant General in the case of gazetted officers)

14. प्रमाणित किया जाता है कि से तक
दिन के लिए नियमावली के नियम के अधीन
(छुट्टी की किस्म) अनुमत्य है।
Certified that..... (Nature of Leave)
for..... from..... to.....
(Period)
is admissible under rule of the Rules.

तारीख/Date

हस्ताक्षर/Signature.....

पदनाम/Designation.....

15. *स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :
Orders of the sanctioning authority :

तारीख/Date

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation

*यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।

If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.